

Celebration of Rights

अधिकारों का उत्सव

Gram Swasashan Abhiyan

Strengthening Local Self Governance in
selected blocks of Jamtara, Gumla and West Singhbhum
districts of Jharkhand



Preface :

The State of Jharkhand with a major share of tribal population is still struggling to perform well on the development indices. Rampant poverty, unemployment, caste and community based social exclusion are common in most areas of the State. Access to government supported facilities including education, health, electricity and others remain a distant dream for a large chunk of population in the State.

Notably, despite enactment of Jharkhand Panchayati Raj Act 2001 and Panchayat (Extension to Scheduled Areas) Act in 14 districts of the State, local self governance is yet to take concrete shape in the tribal State. Gram Sabhas are mostly dysfunctional, women and member of socially excluded communities' participation is minimal in Gram Sabhas. Moreover, the eight standing committees to be made under Gram Sabha under the Jharkhand Panchayati Raj Act are also non-existent in majority of villages.

Under the same backdrop PHIA Foundation in association with APPI launched the Gram Swasathan Abhiyan for strengthening Local Self Governance in selected blocks in Jamtara, Gumla and West Singhbhum Districts of Jharkhand at the end of the year 2017. The three-year project primarily focuses on strengthening local self-governance leading to equity, inclusion and holistic development of poor, vulnerable and marginalised groups in 357 villages of 3 districts of Jharkhand at the same time empowering communities and enabling them access to rights and entitlements.



The document is a compendium of stories from the far off areas of the State where ASRA, SAMVAD, Lok Jagriti Kendra and AROUSE Society - The CSO partners of PHIA Foundation and APPI



have been toiling hard for the past two years to bring a discernible change in the lives of villagers, most among them belong to the socially excluded communities.

It is also an attempt to analyse the accomplishments, challenges and learnings during the journey of the Gram Swashasan Abhiyan in the period of two years. It is developed with a view to be used as a reference document for application in similar interventions and use in future planning, alterations if needed in the ongoing project.

PHIA Foundation and APPI expect that it will largely help and impact trends distinctly visible in the program and that the learnings and experiences through the document will add to the discourse on empowerment of socially excluded communities influencing the civil society, media and government for a positive impact on policy making and implementation.

प्रस्तावना :

आदिवासी बहुल झारखंड राज्य विकास सूचकांकों पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए संघर्षरत है। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में व्यापक गरीबी, बेरोजगारी, जाति और समुदाय आधारित सामाजिक बहिष्कार व्याप्त हैं। राज्य में आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और अन्य सहित सरकार समर्थित सुविधाओं तक पहुंच एक दूर का सपना है।




राज्य के आदिवासी बहुल 14 जिलों में झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम के लागू होने के बावजूद, स्थानीय स्वशासन को अभी भी समूल रूप देना संभव नहीं हो पाया है। ग्राम सभाएँ अधिकांशतः अव्यवस्थित होती हैं, महिलाओं और सामाजिक रूप से बहिष्कृत समुदायों के सदस्यों की ग्राम सभाओं में भागीदारी न्यूनतम होती है। इसके अलावा, झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम सभा के तहत बनाई जाने वाली आठ स्थायी समितियाँ भी अधिकांश गाँवों में मौजूद नहीं हैं।

एपीपीआई के सहयोग से इसी पृष्ठभूमि में फिया फाउंडेशन ने वर्ष 2017 के अंत में झारखंड के जामताड़ा, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में चयनित प्रखंडों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए ग्राम स्वशासन अभियान शुरू किया है। तीन साल की परियोजना मुख्य रूप से स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने पर केंद्रित है। यह कार्यक्रम झारखंड के 3 जिलों के 357 गांवों में गरीब, कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूहों के समावेश और समग्र विकास की ओर अग्रसर है, जो समुदायों को सशक्त बनाता है और उन्हें अधिकारों तक पहुंच प्रदान करता है।

यह पुस्तक राज्य के सुदूर क्षेत्रों की कहानियों का एक संग्रह है जहाँ ASRA, SAMVAD, LOK JAGRITI KENDRA और AROUSE SOCIETY, जो PHIA फाउंडेशन और APPI के

CSO भागीदार हैं, पिछले दो वर्षों से वैसे ग्रामीणों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला रहे हैं, जिनमें अधिकांश सामाजिक रूप से बहिष्कृत समुदायों के हैं।

यह दो साल की अवधि में ग्राम स्वशासन अभियान की यात्रा के दौरान उपलब्धियों, चुनौतियों और सीखने का विश्लेषण करने का भी प्रयास है। PHIA फाउंडेशन और APPI को उम्मीद है कि यह कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले रुझानों को काफी हद तक मदद और प्रभाव देगा और यह कि दस्तावेज के माध्यम से सीखने और अनुभव एक सकारात्मक प्रभाव के लिए नागरिक समाज, मीडिया और सरकार को प्रभावित करने वाले सामाजिक रूप से बहिष्कृत समुदायों के सशक्तिकरण पर होने वाले विचारों को बल देगा जिससे नीति निर्माण और कार्यान्वयन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।



Partnering Hope into Action (PHIA) Foundation:

A Charitable Trust registered in India PHIA Foundation works on the issues of social exclusion and poverty reduction. The Civil Society Organisation works to empower poor, marginalized and vulnerable groups for non-discriminatory access to rights and entitlements: in essential services, gainful livelihoods, relief during emergencies and address inequality and inter-generational poverty. Phia Foundation primarily follows a rights based approach for inclusive, sustainable development. It also directly implement programmes and work through a partnership model with local grassroots organisations, building their capacity and leadership to help ensure a lasting impact on poverty and social exclusion. PHIA collaborates with others, as it believes bringing hearts, mind, capabilities and resources for solutions to address the complex issues of poverty in a long term perspective. The organization works with socially excluded communities through a focus on access to entitlements and essential services, support to livelihoods, relief during emergencies and challenging inequality. PHIA is building on the legacy of the PACS Programme, through which it was able to work on specific themes and flagship schemes of the government which affect the socially excluded and marginalised communities directly. This includes MGNREGA, Forest Rights, Land Rights, Education, Health and Nutrition. Effective local governance and community leadership has been cross cutting across all these interventions. PHIA is taking forward the legacy of PACS and in this context has partnered with Azim Premji Philanthropic Initiative Pvt. Ltd (APPI) to work on 'Strengthening Local Self Governance' in Jharkhand for inclusive and participatory development.

पार्टनरिंग होप इनटू एक्शन (फिया) फाउंडेशन:

भारत में पंजीकृत एक चौरिटेबल संस्था फिया फाउंडेशन, सामाजिक बहिष्कार और गरीबी में कमी लाने के मुद्दों पर काम करती है। यह सिविल सोसाइटी संगठन गरीब, हाशिए पर और कमजोर समूहों को अधिकारों और अधिकारों के लिए गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच के लिए सशक्त बनाने के लिए काम करती है। फिया फाउंडेशन मुख्य रूप से समावेशी, सतत विकास के लिए एक अधिकार आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करती है। यह सीधे कार्यक्रमों को भी लागू करती है और स्थानीय जमीनी स्तर के संगठनों के साथ एक साझेदारी मॉडल के माध्यम से काम करती है, जिससे गरीबी और सामाजिक बहिष्कार पर स्थायी प्रभाव सुनिश्चित करने में उनकी क्षमता और नेतृत्व का निर्माण होता है। फिया अन्य सामाजिक संस्थानों के साथ सहयोग करती है, क्योंकि यह विश्वास करती है कि दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में गरीबी के जटिल मुद्दों को हल करने के लिए समाधान के लिए दिल, दिमाग, क्षमताओं और संसाधनों को लाना होगा। यह संस्था सामाजिक रूप से बहिष्कृत समुदायों के साथ काम करता है, जो हकदारी और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच, आजीविका का समर्थन, आपात स्थितियों के दौरान राहत और चुनौतीपूर्ण असमानता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। PHIA, PACS कार्यक्रम की विरासत पर निर्माण कर रहा है, जिसके माध्यम से यह सरकार के विशिष्ट विषयों और प्रमुख योजनाओं पर काम करने में सक्षम थी, जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत और हाशिए के समुदायों को सीधे प्रभावित करते हैं। इसमें मनरेगा, वन अधिकार, भूमि अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण शामिल हैं। प्रभावी स्थानीय शासन और सामुदायिक नेतृत्व इन सभी हस्तक्षेपों में मूल रूप से समाहित है। PHIA, PACS की विरासत को आगे ले जा रही है और इस संदर्भ में Azim Premji Philanthropic Initiative Pvt Limited (APPI) के साथ समावेशी विकास के लिए झारखंड में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए काम कर रही है।

Azim Premji Philanthropic Initiative Pvt. Ltd (APPI)

A PPI is a part of a group of organizations and institutions founded by Padma Bhushan awardee Mr. Azim Premji. It aspires to facilitate a just, equitable, humane and sustainable society and aims to do this by providing grants (and other support where appropriate) to organizations, whose work has significant potential to contribute to social change in a synergistic manner. APPI works across several domains, some of which are Governance, Vulnerable Groups and Nutrition. Local Democracy is a one of the strategic areas of intervention for APPI, which is based on the premise that despite of economic prosperity and increasing availability of financial resources, the development indicators at the grassroots level remain unsatisfactory. APPI believes that one of the root causes of this is poor governance at the Panchayat level. APPI's theory of change aims to create a truly representative Gram Sabha with participation from all sections of the village society, especially marginalized communities and a more transparent and accountable PRI. The interventions include various process engagements with standing and sub-committee members, capacity building of panchayat members and facilitating the creation of comprehensive and participative village development plans to ensure optimal utilisation of resources.

अजीम प्रेमजी फिलांथ्रोपिक इनिशिएटिव लिमिटेड (APPI)

A पीपीआई पद्मभूषण श्री अजीम प्रेमजी द्वारा स्थापित संगठनों और संस्थानों के एक समूह का एक हिस्सा है। यह एक न्यायसंगत, बिना भेदभाव के, मानवीय और सतत समाज की आकांक्षा रखता है और इसका उद्देश्य संगठनों को अनुदान (और अन्य सहायता जहां उपयुक्त हो) प्रदान करना है, जिनके कार्य में सामाजिक परिवर्तन में योगदान करने की महत्वपूर्ण क्षमता है। एपीपीआई कई क्षेत्रों में काम करती है, जिनमें से कुछ शासन, वंचित समुदाय और पोषण वलनरेबल ग्रुप्स और न्यूट्रिशन हैं। स्थानीय लोकतंत्र एपीपीआई के लिए हस्तक्षेप के रणनीतिक क्षेत्रों में से एक है, जो इस आधार पर आधारित है कि आर्थिक समृद्धि और वित्तीय संसाधनों की बढ़ती उपलब्धता के बावजूद, जमीनी स्तर पर विकास के संकेतक असंतोषजनक बने हुए हैं। एपीपीआई का मानना है कि इसका मूल कारण पंचायत स्तर पर खराब शासन प्रणाली है। एपीपीआई के सिद्धांत में परिवर्तन का उद्देश्य ग्राम समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों और एक अधिक पारदर्शी और जवाबदेह पंचायती राज इकाई के साथ भागीदारी के साथ सही मायने में प्रतिनिधि ग्राम सभा बनाना है। हस्तक्षेप में स्थायी और उप-समिति के सदस्यों, पंचायत सदस्यों की क्षमता निर्माण और संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और सहभागी ग्राम विकास योजनाओं के निर्माण की सुविधा के साथ विभिन्न प्रक्रिया संलग्नक शामिल हैं।

The Journey of Change

Villagers become custodian of Sal forests Put a check on rampant felling of trees

The precious trees of Saranda, Asia's largest Sal forest in West Singhbhum, are now in safe hands, thanks to the awareness drives run by ASRA in association with PHIA Foundation and APPI, which encouraged villagers to attend Gram Sabhas and abide by the unanimous decisions taken by the village level body here.

Vijay Singh Lagori, a resident of Manoharpur in Chiria, is of the opinion that the Gram Sabha came as the custodian of not only the tribal families living here but also the flora and fauna in Saranda.

Rampant felling of trees in Saranda became inevitable as any villager in need of wood would cut trees at his own wish, Lagori said. "Anyone who wanted wood, or wanted to fell trees to sell wood, would cut the trees. Now, after the Gram Sabha started getting strong, we took the decision that any tree felling could be done only with the permission of the Gram Sabha," said Lagori. "Everyone needs firewood, so we decided that only the dry twigs and branches that were on the forest floor would be taken for this purpose," he added.

The ASRA team came here and told the villagers about the advantage of Gram Sabha, Lagori said. People subsequently began to understand the advantages of participating in Gram Sabhas. "There



was more awareness about the rights we were entitled to. And now, I would say that more than 90 per cent of the villagers come to the Gram Sabha," said Lagori.

Now, if villagers need wood for making houses, then they seek permission of the Gram Sabha - a practice that has considerably reduced unchecked felling of trees here. "After getting permission from Gram Sabha, we go and take wood from the forest. This is one thing that has changed. And now the forest is not being indiscriminately destroyed," Lagori said.

Not only is the Gram Sabha checking the use of wood from the forest, but also ensuring that medicinal herbs, fruits and flowers of the forest are not taken for granted. "This is a welcome change," said Lagori.

Lagori's family was into farming for generations, but the family profession saw various hurdles when his father took the reins of the business in his hands. "But now there is support from the Gram Sabha, and the facilities for continuing farming are available. We have support, so I have returned to farming," he said.

Earlier, the benefits of different welfare schemes would also not reach the villagers as middlemen ate into their share. Gram Sabha, Lagori said, ensured that villagers get the benefits they are entitled to.

There is a nine-member committee here that ensures that the work of the Gram Sabha runs smoothly. The work is divided between the members. There is a team to work towards the progress in the village, a team that works for the security of the village, a team that focuses on protecting the forest, a team that focuses on justice and another for education and so on.

Lagori, who happens to be a Munda, said that Mundas were supposed to convene meetings of villagers before Gram Sabha was constituted. Most of the works in the villages were done through the Mundas - a sect that took the onus of safeguarding the interests of the villagers.

Lagori feels that progress of a village is visible in its roads, drinking water facility and infrastructure. "Mining companies come here for setting up factories. The government says that it will bring development, but the factory has to get the nod of the Gram Sabha first," he said.

ग्रामीण बने साल वनों के संरक्षक

पेड़ों की कटाई पर पैनी नजर रखते हैं

पश्चिम सिंहभूम जिले में एशिया के सबसे बड़े साल के जंगल सारंडा के बेशकीमती पेड़ अब सुरक्षित हाथों में हैं, जिसका श्रेय PHIA फाउंडेशन और APPI द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को दिया जा सकता है, जिसने ग्रामीणों को ग्राम सभाओं में भाग लेने और सर्वसम्मति से लिए गए फैसलों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया।

चिड़िया, मनोहरपुर के निवासी विजय सिंह लागोरी का मत है कि ग्राम सभा का उत्थान न केवल यहां रहने वाले आदिवासी परिवारों बल्कि सारंडा में वनस्पतियों और जीवों के संरक्षक के रूप में हुआ है।

लागोरी ने कहा कि सारंडा में पेड़ों की कटाई अनवरत चल रही थी क्योंकि किसी भी ग्रामीण को अपनी इच्छा से लकड़ी काटने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी "जो कोई लकड़ी चाहता था, या लकड़ी बेचने के लिए पेड़ों को गिराना चाहता था, वह पेड़ों को काट देता। अब, ग्राम सभा के मजबूत होने के बाद, हमने निर्णय लिया कि किसी भी पेड़ की कटाई केवल ग्राम सभा की अनुमति से की जा सकती है," लागोरी ने कहा। 'हर किसी को जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने फैसला किया कि केवल सूखी टहनियाँ और शाखाएँ जो वन तल पर थीं, उन्हें इस उद्देश्य के लिए लिया जाएगा,' उन्होंने कहा।

ASRA की टीम यहां आई और ग्रामीणों को ग्राम सभा के लाभ के बारे में बताया। लोग बाद में ग्राम सभाओं में भाग लेने के फायदों को समझने लगे। "हम उन अधिकारों के बारे में अधिक जागरूक थे, जिनके हम हकदार थे। और अब, मैं कहूंगा कि 90 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण ग्राम सभा में आते हैं," लागोरी कहते हैं।

अब, अगर ग्रामीणों को घर बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है, तो वे ग्राम सभा की अनुमति लेते हैं – यह प्रक्रिया यहां पेड़ों की अनियंत्रित कटाई को काफी कम कर देती है। "ग्राम सभा से अनुमति मिलने



के बाद, हम जंगल से लकड़ी लेने जाते हैं। यह एक चीज है जो बदल गई है। और अब जंगल को अंधाधुंध नष्ट नहीं किया जा रहा है, " वो बताते हैं।

लागोरी के अनुसार अब न केवल ग्राम सभा जंगल से लकड़ी के उपयोग की जाँच कर रही है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि वन की औषधीय जड़ी-बूटियाँ, फल और फूल नहीं लिए जाएं। यह एक स्वागत योग्य बदलाव है।

लागोरी का परिवार कई पीढ़ियों से खेती में था, लेकिन परिवार के पेशे ने कई तरह की बाधाएँ देखीं जब उसके पिता ने व्यवसाय की बागडोर अपने हाथों में ले ली। "लेकिन अब ग्राम सभा से समर्थन प्राप्त है, और निरंतर खेती के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे पास समर्थन है, इसलिए मैं खेती में लौट आया हूँ। इससे पहले, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंचता था, क्योंकि बिचौलिए उनके हिस्से में आते थे। ग्राम सभा ने यह सुनिश्चित किया कि ग्रामीणों को वे लाभ मिलें जिनके वे हकदार हैं, लागोरी कहते हैं।

यहां एक नौ सदस्यीय समिति है जो सुनिश्चित करती है कि ग्राम सभा का काम सुचारू रूप से चले। कार्य सदस्यों के बीच विभाजित है। गाँव में प्रगति की दिशा में काम करने के लिए एक टीम है, एक टीम जो गाँव की सुरक्षा के लिए काम करती है, एक टीम जो जंगल की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करती है, एक टीम जो न्याय पर ध्यान केंद्रित करती है और दूसरी शिक्षा और दूसरी चीजों पर।

लागोरी, जो गांव के 'मुंडा' (पारंपरिक नेता) हैं, ने कहा कि हमारी पारंपरिक व्यवस्था में 'मुंडा' ग्राम सभा की बैठक बुलाते थे। गांवों में अधिकांश कार्य मुंडाओं के माध्यम से होते थे – एक संप्रदाय जो ग्रामीणों के हितों की रक्षा करने का बीड़ा उठाता था।

लागोरी को लगता है कि एक गांव की प्रगति उसकी सड़कों, पेयजल सुविधा और बुनियादी ढांचे में दिखाई देती है। "खनन कंपनियां यहाँ कारखानों की स्थापना के लिए आती हैं। सरकार का कहना है कि इससे विकास होगा, लेकिन कारखाने को पहले ग्राम सभा की अनुमति लेनी चाहिए," वो कहते हैं।

Gram Sabha comes to rescue of homeless Anupa, her children

An elephant destroyed her house, leaving her with no option but to take refuge in other villagers' houses

The world looked dark for Anupa Minj, a tribal woman living in Chainpur block of Gumla district with her three children after an enraged elephant destroyed her mud house, leaving her with no option but to take refuge in her fellow villagers' houses.

After running from pillar to post with a requisition for a new house, she eventually got to know about Gram Sabha, its power and also about her rights with the help of project staff of Gram Swashasan Abhiyan.

"Had it not been for Gram Sabha, I would be still staring at hopelessness. Project staff of Gram Swashasan Abhiyan told me about Gram Sabha and with their support my application for a new house was passed," she said.

Recalling the horror from the day the elephant ransacked her locality, she said, "The elephant was near the river and then came towards our area. The children were hungry and we were preparing to have our



evening meal. We could hear the elephant from a distance. It sounded angry. Then it came closer to us, and started destroying the bamboo beds that

were outside. First we went inside the house and closed the door, but then we started to run for our lives. The children and some others went one way and I ran towards the houses on the other side."

In Anupa's house, she had a five-year-old, an eight-year-old and a 10-year-old, and her brother in law. Following the attack by the tusker, Anupa and her children were in dire need of support from the villagers.

"People from the Forest Department visited us and took pictures of our ransacked house. After we discussed the matter in the Gram Sabha, it swung into action and started holding meetings to address our problems," said Anupa.

Anupa sent an application to the block office seeking a new house citing that her house was destroyed in an elephant attack. "The elders of the village came to see the situation and held a meeting. Everyone participated, the Head of the Gram Sabha, the Ward, the villagers, the representatives of the Gram Sabha. The application was passed. And now the only task left is to build a house," she said.



ग्राम सभा ने बेघर अनूपा और बच्चों के लिए आश्रय का प्रयास किया

एक हाथी ने उसके घर को नष्ट कर दिया था और उसके पास कोई रहने को कोई ठौर नहीं था

गु मला जिले के चैनपुर प्रखंड में रहने वाली एक आदिवासी महिला अनूपा मिन्ज के लिए जीवन अंधकारमय लगने लगा जब हाथियों के द्वारा उसका मिट्टी का घर पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। अनूपा को अपने तीन बच्चों के साथ अपने साथी ग्रामीणों के घरों में शरण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा।

घर को फिर से बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी और सरकारी मुआवजे के लिए इधर उधर कई चक्कर काटने के बाद उसे अंततः ग्राम सभा के द्वारा ही अपनी शक्तियों का पता चला। ग्राम सभा के अधिकार एवं उसकी शक्ति के बारे में ग्राम स्वशासन अभियान के प्रतिनिधियों ने ग्रामवासियों को विस्तार से समझाया था और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागृत भी किया था।

“अगर यह ग्राम सभा के द्वारा नहीं होता, तो मैं अभी भी निराशा से घूम रही होती। ग्राम स्वशासन अभियान के प्रतिनिधियों ने ग्राम सभा के बारे में बताया और उनके समर्थन से एक नए घर के लिए मेरा आवेदन आगे प्रेषित कर दिया गया,” अनूपा ने बताया।

जिस दिन हाथी ने अपने इलाके में तोड़फोड़ की, उस दिन से आतंक को याद करते हुए, उन्होंने कहा, “हाथी नदी के पास था और फिर हमारे इलाके की ओर आया। बच्चे भूखे थे और हम अपनी शाम के खाने की तैयारी कर रहे थे। हम हाथी को दूर से सुन सकते थे। यह गुस्से में लग रहा था। फिर यह हमारे करीब आया, और बाहर लगे बांस के बिस्तरों को नष्ट करना शुरू कर दिया। पहले हम घर के अंदर गए और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन फिर हम अपने जीवन बचाने के लिए दौड़ने लगे। बच्चे और कुछ अन्य लोग एक रास्ते पर चले गए और मैं दूसरी तरफ के घरों की ओर भागी।”

अनूपा के घर में पाँच साल, आठ साल और 10 साल के तीन बच्चे और उसका देवर था। हाथी के हमले के बाद, अनूपा और उनके बच्चों को ग्रामीणों के समर्थन की सख्त जरूरत थी।

“वन विभाग के लोग हमसे मिलने आए और हमारे घर की तस्वीरें भी लीं। जब हमने ग्राम सभा में इस मामले पर चर्चा की, तो इस पर त्वरित करवाई हुई और हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए नियमित बैठकें होने लगीं,” अनूपा ने कहा।



अनूपा ने एक नए घर की मांग करते हुए ब्लॉक कार्यालय को एक आवेदन भेजा जिसमें कहा गया था कि उसके घर को एक हाथी के हमले में नष्ट कर दिया गया था। “गाँव के बुजुर्ग हालात देखने आए और एक बैठक की। सभी ने भाग लिया, ग्राम सभा के प्रमुख, वार्ड, ग्रामीण, ग्राम सभा के प्रतिनिधि। जल्दी ही आवेदन पारित भी किया गया। अब एक ही काम बचा है घर बनाने का,” अनूपा ने बताया।

Money from sand mining will now go to villagers

The money generated by sand mining in Harirakha of Fatehpur will now be used for the welfare of the villagers, who are believed to be the owners of the sand.

However, the money generated through sand


mining was going away to middlemen and private contractors here until the Gram Sabha decided to intervene, villagers said.

Babudan Tudu, a member of the Gram Sabha at Harirakha village, said, "People were taking away sand from our river banks in tractors and we were not getting any share of the money generated through it. We became more aware of our rights since our Gram Sabha got strengthened with the help of project staff of Gram Swashasan Abhiyan and the village body decided to get a share of the revenue from sand for the welfare of villagers."

The money generated, he said, will directly go to the Gram Sabha and used for necessary expenditure. "The decision on how to use it will be taken by the Gram Sabha," said Tudu. "The process has not started yet, but it will soon begin," he added.

Devilal Tudu, a resident of the same village, had a similar opinion on sand mining here. "The money generated from sand mines were going





to the Panchayat. Through Gram sabhas we came to know more about what is happening. And these are the only few ways that a Gram Sabha like ours can make an income. We decided to get the money, so we can create an official income from this activity and then use it on what our village really needs," he said.

If the sand is taken away from the village on a daily basis, then the villagers will run out of it one day, said Tudu, adding that the sand belong to the people of the village and so does the money generated from it.

The awareness about impact of Gram Sabha was spread in the village by project staff of Gram Swashasan Abhiyan, involved in helping poverty-stricken villagers get their dues, said the villagers.

Another villager, Ramdev Tudu, said that if people keep taking away sand, then the village will not exist for a long period. "We get water from the river because of the sand. If the sand is taken away, there the river will also dry up. And when the water runs out, it will be the end of us too," he said.

Tudu suggested that people should stop taking away sand from the river bank to ensure a safe future for the villagers. The villagers should at least get the money for finding alternative ways to secure their future, he added.

बालू खनन से पैसा अब ग्रामीणों को जाएगा

फ तेहपुर के हरिराखा में रेत खनन से उत्पन्न धन का उपयोग अब ग्रामीणों के कल्याण के लिए किया जाएगा, जो रेत के मालिक माने जाते हैं। बालू खनन के माध्यम से उत्पन्न धन बिचौलियों और निजी ठेकेदारों के पास जा रहा था, जब तक कि ग्राम सभा ने हस्तक्षेप करने का फैसला नहीं किया, ग्रामीणों ने कहा।

जामताड़ा जिले के हरिराखा गाँव में ग्राम सभा के एक सदस्य बाबूधन टुडू ने कहा, "लोग ट्रैक्टरों में हमारी नदी के किनारे से रेत निकाल रहे थे और हमें इसके माध्यम से उत्पन्न धन का कोई हिस्सा नहीं मिल रहा था। हम अपने अधिकारों के बारे में अधिक जागरूक हो गए क्योंकि हमारी ग्राम सभा ग्राम स्वशासन अभियान के प्रतिनिधियों की मदद से सशक्त हुई, और ग्राम सभा ने ग्रामीणों के कल्याण के लिए रेत से राजस्व का एक हिस्सा प्राप्त करने का फैसला किया।"

उन्होंने कहा कि ये धन, सीधे ग्राम सभा को जाएगा और आवश्यक खर्च के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। टुडू ने कहा, इसका उपयोग कैसे करना है, इसका निर्णय ग्राम सभा द्वारा लिया जाएगा। प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन यह जल्द ही शुरू हो जाएगी।

उसी गाँव के निवासी देवीलाल टुडू का यहाँ के बालू खनन पर कुछ ऐसा ही मानना था। "रेत की खदानों से उत्पन्न धन पंचायत में जा रहा था। ग्राम सभाओं के माध्यम से हमें पता चला कि क्या हो रहा है। और ये कुछ ही तरीके हैं जिनसे हमारी जैसी ग्राम सभा आय कमा सकती है। हमने पैसे प्राप्त करने का फैसला किया, ताकि हम इस गति विधि से एक आधिकारिक आय बना सकते हैं और फिर इसका उपयोग हमारे गाँव को वास्तव में क्या चाहिए उस पर किया जा सके," उन्होंने कहा।

देवीलाल कहते हैं कि यदि रोजाना बालू गाँव से बाहर जाता है तो एक दिन यहाँ इसकी कमी होनी शुरू हो जाएगी। बालू और उससे आने वाला पैसा गाँव के लोगों का ही है।

ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम सभा के प्रभाव के बारे में ग्राम स्वशासन अभियान के प्रतिनिधियों द्वारा गाँव में जागरूकता फैलाई गई थी, जिससे ग्रामीणों को गरीबी से मुक्त करने में मदद मिली।

एक अन्य ग्रामीण, रामदेव टुडू ने कहा कि यदि लोग रेत निकालते रहेंगे, तो गाँव में लंबे समय तक रेत का अस्तित्व नहीं रहेगा। "हमें रेत के कारण नदी से पानी मिलता है। यदि रेत निकाल ली गई तो वहाँ नदी भी सूख जाएगी। और जब पानी खत्म हो जाएगा, तो यह हमारा भी अंत होगा," उन्होंने कहा।



टुडू ने सुझाव दिया कि लोगों को ग्रामीणों के सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए नदी के किनारे से रेत निकालना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वैकल्पिक रास्ते खोजने के लिए मदद मिलनी चाहिए।

Gram Sabha helps villagers have their say in check dam construction

A check dam was being built in Fatehpur's Chaprahatti village without the consent of the villagers, but the members of Gram Sabha ensured that villagers have a say in the construction and the operations of the dam.




Although the design of the dam remained the same as

more than half of the construction work was done by the time Gram Sabha intervened, villagers here believe that making Gram Sabha a party to the decision-making machinery for the check dam will benefit the villagers in the long run.

"The dam was built within our area limits. We came to know that it was entering our limits. How can this be right without asking us, without giving any information, without our Gram Sabha knowing and agreeing to this - that a check dam can be built here?" asked Bhausar Hembrom, a resident of the village.

Taking cognizance of the development, the Gram Sabha sought to have a dialogue with the contractor of the dam. "Of course, we know that this is for everyone's good, and for progress, but how can you build this without even asking us? We have the right to ask this, so we did," said Hembrom.



The Gram Sabha allowed the construction as it was for the larger benefit of everyone, but it sent out a strong message to the contractor - construction works cannot be carried out keeping the Gram Sabha in the dark.

"We understand, this is the way of progress, people have to do this job. But they have to inform us," said Hembrom.

Project staff of Gram Swashasan Abhiyan helped the villagers here know their rights by spreading awareness about Gram Sabha and encouraging them to be a part of it. "We worked at the construction site. It generated livelihood for many. And it will benefit the villagers," said Hembrom.

"We could have made it (dam) in a place that benefits a lot of people. But a lot of money has been spent on this. It's been built now very far away. Half of the water is in Pathrabad," said Hembrom.

Rajesh, another villager, said that the villagers are experiencing some benefits for their cattle from the dam. They would also get drinking water for villagers, he added. "The water could also be used for farming."

ग्राम सभा के द्वारा ग्रामीणों को चेक डैम निर्माण और संचालन में भूमिका मिली

ग्रामीणों की सहमति के बिना जामताड़ा जिले के फतेहपुर के चपरहट्टी गांव में एक चेक डैम बनाया जा रहा था, लेकिन ग्राम सभा के सदस्यों ने यह सुनिश्चित किया कि ग्रामीणों के पास बांध के निर्माण और संचालन में एक भूमिका हो।

हालाँकि, बांध का डिजाइन पहले की तरह का ही रहा क्योंकि जब ग्राम सभा का हस्तक्षेप निर्माण के दौरान हुआ कार्य आधे से अधिक हो चूका था। फिर भी यहाँ के ग्रामीणों का मानना है कि ग्राम सभा को चेक डैम के लिए निर्णय लेने वाली मशीनरी में एक संस्था बनाने से ग्रामीणों को लम्बे समय में लाभ होगा।

“बांध हमारे क्षेत्र की सीमा के भीतर बनाया गया था। हमें पता चला कि यह हमारी सीमा में प्रवेश कर रहा था। बिना हमारी जानकारी के, हमारी ग्राम सभा को जाने और इस बात से सहमत हुए बिना, यह कैसे सही हो सकता है – कि यहाँ एक चेक डैम बनाया जा सकता है?” गाँव के निवासी भौसार हेम्ब्रोम ने सवाल किया।

इन बातों का संज्ञान लेते हुए, ग्राम सभा ने बांध के ठेकेदार के साथ बातचीत करने की मांग की। “बेशक, हम जानते हैं कि यह सभी की भलाई के लिए है, और प्रगति के लिए है, लेकिन आप हमसे पूछें बिना इसे कैसे बना सकते हैं? हमें यह पूछने का अधिकार है, इसलिए हमने किया,” हेम्ब्रोम बताते हैं।

ग्राम सभा ने निर्माण की अनुमति दी क्योंकि यह सभों के वृहद लाभ के लिए था, लेकिन इसने ठेकेदार को एक मजबूत संदेश भेजा – ग्राम सभा को अंधेरे में रखकर निर्माण कार्य नहीं किए जा सकते।

“हम समझते हैं, यह प्रगति का तरीका है, लोगों को यह काम करना होगा। लेकिन उन्हें हमें सूचित करना होगा,” उन्होंने कहा।

ग्राम स्वशासन अभियान के प्रतिनिधियों ने यहां के ग्रामीणों को ग्राम सभा के बारे में जागरूकता फैलाने और उन्हें इसका हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करके उनके अधिकारों को जानने में मदद की। “हमने निर्माण स्थल पर काम किया। इसने कई लोगों के लिए आजीविका पैदा की। और इससे ग्रामीणों को लाभ होगा,” हेम्ब्रोम ने कहा।

“हम इसे (बांध) एक ऐसी जगह पर बना सकते थे जो बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचाता है। लेकिन इस पर बहुत पैसा खर्च किया गया है। यह अब बहुत दूर बनाया गया है। पाथराबाद में पानी का आधा हिस्सा है।

एक अन्य ग्रामीण राजेश ने कहा कि ग्रामीणों को बांध से अपने मवेशियों के लिए कुछ लाभ है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को पीने का पानी भी मिलेगा। “पानी का उपयोग खेती के लिए भी किया जा सकता है।”



Chiria villagers now thank Gram Sabha for supply water

Mining activities contaminated rivers, wells, canals here, rendering it unconsumable

Residents of Chiria village in Manoharpur had to rely on the little rain water they collected in utensils placed on the terrace of their thatched houses as mining activities rendered water available through natural sources unconsumable.

The Gram Sabha of the village was quick to swing into action and bring an end to the hardship of villagers here. They don't have to wait for the rains anymore for collecting water as a written communication to the government from the Gram Sabha has ensured supply of water to the affected villagers by tankers.

"It has been a month since SAIL has been supplying water to our village. They are supplying water through the tankers. This would not have been possible without the intervention of the Gram Sabha," said Draupadi Samad, a resident of Chiria.

However, the villagers had to endure a lot of hardships before the Gram Sabha intervened. They were informed about the benefits of Gram Sabha by project staff of Gram Swashasan Abhiyan and the villagers thank volunteers of the non-profit organisation for making them aware of the benefits of Gram Sabha.

Narrating the ordeals of the villagers prior to the intervention of Gram Sabha, Samad said, "The water we get in the canal is mixed with slush, dirt, hospital waste and mining waste. We had to use it for cooking, cleaning, bathing and other works. The water from the tube well is also not good, it is yellow. We face a lot of health problems because of the water."

"We would filter the water from the river or during rains we could collect water from our rooftops in vessels and use it for cooking, washing etc. The water would last for two days," she added.

Malaria is the most common disease for young and old alike in the village and difficulty in getting water emerged as an added challenge, she said.

The Gram Sabha wrote to Steel Authority of India



Limited (SAIL) highlighting the challenges villagers have to face due to contaminated water, and SAIL was quick to arrange for an alternative. "We are getting this water as a result of the Gram Sabha putting a petition before them (SAIL). We are also facing dust pollution as a result of vehicular movement; we need to see what could be done about that. I'm sure the Gram Sabha will think of something," Samad said.

Donai Aind, driver of a water tanker in Salai, said that he drives several kilometres carrying around 9000 litres of water for villagers. The contaminated water of rivers and wells in the locality was making villagers unwell, said Donai, adding that the Gram Sabha spotted the disturbing trend and sought help from the government. The government then decided to get the river water inspected by Steel Authority of India Limited (SAIL) and the latter decided to supply water to the affected villagers.

"We load the tanker with water and supply to the houses in the villages on Mondays and Fridays. We also supply water to the Police camp," said Aind. "The clean water comes from the pump house, and we load the tanker from the second junction. This facility is a life saver for many villagers, thanks to Gram Sabha's proactive steps," he added.

The villagers here were informed about Gram Sabhas Gram Swashasan Abhiyan representatives. They soon started participating in Gram Sabha meetings, and their active involvement has resulted in delivery of water to the homes of villagers.

चिड़िया के ग्रामीण अब पानी की आपूर्ति के लिए ग्राम सभा का धन्यवाद करते हैं

पश्चिमी सिंगभूम जिले में मनोहरपुर के चिड़िया गाँव के निवासियों को कई बार अपने मकानों की छत पर रखे गए बर्तनों में जमा बरसाती पानी पर निर्भर रहना पड़ता था क्योंकि खनन गतिविधियाँ प्राकृतिक स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध पानी को अनुपयोगी बना देती थीं।

गाँव की ग्राम सभा की तत्परता से यहाँ के ग्रामीणों की कठिनाई को समाप्त करने के लिए अनेक कदम उठाये गए। ग्राम सभा से सरकार को लिखित पत्रों के बाद अब पानी इकट्ठा करने के लिए उन्हें अब बारिश का इंतजार नहीं करना पड़ता है। इससे प्रभावित ग्रामीणों को टैंकरों से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो गई है।

"सेल को हमारे गाँव में पानी की आपूर्ति करते हुए एक महीना हो गया है। वे टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति कर रहे हैं। यह ग्राम सभा के हस्तक्षेप के बिना संभव नहीं होता," चिड़िया के निवासी द्रौपदी समद ने कहा।

हालाँकि, ग्राम सभा के हस्तक्षेप से पहले ग्रामीणों को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। उन्हें ग्राम स्वशासन अभियान के प्रतिनिधियों द्वारा ग्राम सभा के अधिकारों के बारे में बताया गया, और ग्रामीणों ने इन संगठनों को ग्राम सभा के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए धन्यवाद दिया।



ग्राम सभा के हस्तक्षेप से पहले ग्रामीणों की समस्याओं का

वर्णन करते हुए, समद ने कहा, “हमें नहर में जो पानी मिलता है, वह गंदगी, अस्पताल के कचरे और खनन कचरे के साथ मिला होता है। हमें खाना पकाने, सफाई, स्नान और अन्य कार्यों के लिए इसका उपयोग करना था। नलकूप का पानी भी अच्छा नहीं है, यह पीला है। इस पानी की वजह से हमे बहुत सारे स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है।”

उन्होंने कहा, हम नदी से पानी फिल्टर करते हैं या बारिश के दौरान हम अपनी छतों से पानी को बर्तनों में जमा कर सकते हैं और इसे खाना पकाने, धोने आदि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी दो दिनों तक टिका रहता है।

ग्राम सभा ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को लिखा कि दूषित पानी के कारण ग्रामीणों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और सेल को विकल्प की व्यवस्था करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, हमें यह पानी ग्राम सभा की मेहनत के परिणामस्वरूप मिल रहा है। हम वाहनों की आवाजाही के परिणामस्वरूप धूल प्रदूषण का सामना कर रहे हैं। हमें यह देखने की जरूरत है कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है। मुझे यकीन है कि ग्राम सभा कुछ सोचेगी, “समद ने कहा।

एक पानी के टैंकर के चालक दोनाई आइंध ने कहा कि वह ग्रामीणों के लिए लगभग 9000 लीटर पानी लेकर कई किलोमीटर ड्राइव करते हैं। दोनाई ने कहा कि नदी और कुओं का दूषित पानी ग्रामीणों को अस्वस्थ कर रहा है, दोनाई ने कहा कि ग्राम सभा ने इस बात पर गौर किया और सरकार से मदद मांगी। सरकार ने तब सेल द्वारा नदी के पानी का निरीक्षण करने का फैसला किया और बाद में प्रभावित ग्रामीणों को पानी की आपूर्ति, सेल प्रबंधन द्वारा कराने का फैसला किया।

“हम पानी के साथ टैंकर को लोड करते हैं और सोमवार और शुक्रवार को गांवों में घरों में आपूर्ति करते हैं। हम पुलिस शिविर में भी पानी की आपूर्ति करते हैं। साफ पानी पंप हाउस से आता है, और हम दूसरे जंक्शन से टैंकर को लोड करते हैं। यह सुविधा कई ग्रामीणों के लिए एक जीवन रक्षक है, ग्राम सभा के सक्रिय कदमों के लिए धन्यवाद,” उन्होंने कहा।

यहां के ग्रामीणों को ग्राम स्वशासन अभियान के प्रतिनिधियों के द्वारा ग्राम सभाओं के बारे में बताया गया। उन्होंने जल्द ही ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना शुरू कर दिया, और उनकी सक्रिय भागीदारी से ग्रामीणों के घरों में पानी पहुंचाया जा रहा है।

Saving villagers from rampant industrialization

Village body intervenes in sale of land for power grid construction

A plot of land owned by one Basant Tirkey, a member of the tribal community in Madaikona village of Gumla district, was purportedly bought by a company for setting up a power grid. However, Basant was yet to communicate to the Gram Sabha about the development and villagers feared that the power grid would make the area inhabitable.

Members of the Gram Sabha in this nondescript village decided to intervene in the matter and stop the construction of the power grid in the village. "There has been no discussion about the power grid with the Gram Sabha. No intimation or discussion with the public here has happened over the issue. They cannot set up a power grid without our permission," said Sanjay Toppo, a member of the Gram Sabha here.

Villagers are fast becoming aware of their rights in this village of Chainpur block. Any villager, they feel, has the right to sell his land, but the seller has to inform the Gram Sabha in a bid to ensure that projects on the sold piece of land do not prove to be hazardous to other villagers. Some villagers have also vowed to keep their lands safe from companies.

"A project was initiated on our land, and I decided that I would not allow it to happen here. We got it removed to another area and told the company that it was my father's land and I'm not giving it to anyone,"



said Hilbis Lakra, another resident of the village.

Talking about the power grid, Hilbis said that the agreement with the land owner may not have been made yet, and the Gram Sabha will not allow it. "We have our Gram Sabha, and proof that the land belongs to us. No agreement will be signed without the Gram Sabha's permission," he said.

Sanjay Toppo, another resident of the village, said that it was unsafe to stay so close to a power grid and therefore the villagers have unanimously decided not to let the power grid function out of their village. "Where will we go when the pollution from it starts affecting our life," he asked.

The residents of the village were unaware of their rights before project staff of Gram Swashasan Abhiyan started spreading awareness in the village about the powers vested in Gram Sabha. Soon people started attending the Gram Sabha meetings and ensuring that every decision related to the village got the nod of the Gram Sabha.

"It was his decision to sell his land, but the Gram Sabha has to think about the welfare of all the villagers. Only one person cannot take such decisions and put all of us at risk of living in hazardous conditions," said Vimal Toppo, another villager. "As per the rules, this power grid should be at least 100 metres away from where people live, and here it's in the middle of the village. This is why we have a problem with it," he added.

The land owner, Toppo said, will have to answer to the Gram Sabha. The villagers' opinions and thoughts will be shared publicly, they will discuss and debate on this, and then a decision will be taken.

औद्योगीकरण से बचाव

पावर ग्रिड निर्माण के लिए भूमि की बिक्री में ग्राम निकाय हस्तक्षेप करता है

गु मला जिले के मड़ाईकोना गांव में आदिवासी समुदाय के एक सदस्य बसंत तिर्की के स्वामित्व वाली भूमि का एक भूखंड एक कंपनी द्वारा पावर ग्रिड स्थापित करने के लिए कथित तौर पर खरीदा गया था। हालांकि, बसंत अभी तक इस बारे में ग्राम सभा को सूचित नहीं कर पाए थे और ग्रामीणों को डर था कि पावर ग्रिड क्षेत्र को रहने योग्य नहीं रखेगा।

इस गांव में ग्राम सभा के सदस्यों ने मामले में हस्तक्षेप करने और गांव में पावर ग्रिड के निर्माण को रोकने का फैसला किया। "ग्राम सभा के साथ पावर ग्रिड के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। इस मुद्दे पर यहां की जनता को कोई सूचना भी नहीं दी गई है। वे हमारी अनुमति के बिना यहाँ पावर ग्रिड स्थापित नहीं कर सकते," ग्राम सभा के सदस्य संजय टोप्पो ने कहा।



चैनपुर प्रखंड के इस गांव में ग्रामीण तेजी से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। वे महसूस करते हैं कि किसी भी ग्रामीण को अपनी जमीन बेचने का अधिकार है, लेकिन विक्रेता को ग्राम सभा को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित करना होगा कि बेची गई भूमि पर परियोजनाएं अन्य ग्रामीणों के लिए खतरनाक साबित नहीं होती हैं। कुछ ग्रामीणों ने भी अपनी जमीन को कंपनियों से सुरक्षित रखने के लिए दृढ़ निश्चय किया है।

"हमारी जमीन पर एक परियोजना शुरू की गई थी, और मैंने फैसला किया कि मैं इसे यहां नहीं होने दूंगा। हमने इसे दूसरे क्षेत्र में निकाल दिया और कंपनी को बताया कि यह मेरे पिता की जमीन है और मैं इसे किसी को नहीं दे रहा हूँ," हिल्बिस लकड़ा, एक ग्रामीण ने कहा।

पावर ग्रिड के बारे में बात करते हुए, हिल्बिस ने कहा कि भूमि मालिक के साथ समझौता अभी तक नहीं किया गया है, और ग्राम सभा इसे अनुमति नहीं देगी। "हमारे पास हमारी ग्राम सभा है, और इस बात का सबूत है कि जमीन हमारी है। ग्राम सभा की अनुमति के बिना किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे," उन्होंने कहा।

टोप्पो ने कहा कि पावर ग्रिड के इतने करीब रहना असुरक्षित था और इसलिए ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से पावर ग्रिड को अपने गाँव से बाहर जाने देने का फैसला किया। उन्होंने कहा, जब हमारे जीवन पर इसका असर पड़ने लगेगा तो हम कहां जाएंगे।

ग्राम स्वशासन अभियान के प्रतिनिधियों के द्वारा ग्राम सभा में निहित शक्तियों के बारे में गाँव में जागरूकता फैलाने से पहले गाँव के निवासी अपने अधिकारों से अनभिज्ञ थे। जल्द ही लोगों ने ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना शुरू कर दिया और सुनिश्चित किया कि गाँव से संबंधित हर निर्णय को ग्राम सभा की अनुमति मिल जाए।

"यह उनकी जमीन बेचने का फैसला था, लेकिन ग्राम सभा को सभी ग्रामीणों के कल्याण के बारे में सोचना होगा। केवल एक व्यक्ति इस तरह के फैसले नहीं ले सकता है और हम सभी को खतरनाक परिस्थितियों में रहने का खतरा है," विमल टोप्पो, एक अन्य ग्रामीण ने कहा। "नियमों के अनुसार, यह पावर ग्रिड कम से कम 100 मीटर की दूरी पर होना चाहिए जहां लोग रहते हैं, और यहां यह गांव के बीच में है। यही कारण है कि हमें इससे समस्या है।"

जमीन के मालिक, टोप्पो ने कहा, ग्राम सभा को जवाब देना होगा। ग्रामीणों की राय और विचारों को सार्वजनिक रूप से साझा किया जाएगा, वे इस पर चर्चा और बहस करेंगे, और फिर एक निर्णय लिया जाएगा।

Gram Sabha providing well-meaning employment to village youths

Gram Sabha in Prajapata Tola of Fatehpur in Jamtara district has not only generated employment for the local youths but also rendered job satisfaction to them. Jayaprakash Pandit is one such youth from the village, who left



farming and started working as a Data Operator for the Gram Sabha.

Today, Pandit takes pride in sharing his experiences as a Data Operator and how he has been working as a community leader in his village.

"I make reports of all the meetings and discussions that happen in my village. Then I explain these to the other Community Leaders, and discuss what we can do for the village. It gives me immense pleasure to be able to connect with my fellow villagers and spread awareness," said Pandit.

Earlier, the village ran on its own and every person took his or her own decisions. The feeling of a community was missing, said Pandit. "When this new wave of community leadership came in, I realised that we have to think and share ideas for the progress of the village. And so I got involved with the process. I learned how the procedures of the Gram Sabha work," he added.

At the Panchayat level, Panchayat Secretary and his faction are still doing things as they wish to, he said. "I have seen them doing wrong things. I even had photos on my phone, which they got me to delete later," said Pandit.

Pandit did not surrender to immoral practices of Panchayat workers and stood by his values. Stating a similar example of how young community leaders were helping villagers get their dues, he said that the Mukhiya wanted to give away water pump, requested by his village, to another village, but Pandit resisted the decision.

Pandit has also done surveys for government schemes to ensure that all the villagers get the benefits. He attributes a great part of his success to the project staff of Gram Swashasan Abhiyan who encouraged him to play his role with dedication. "Since a Gram Swashasan Abhiyan project staff has come to our area, we feel that we can actually implement things that will benefit our village, and change our lives," he said.

युवाओं को रोजगार के अवसर ग्राम सभा के द्वारा

जा मताड़ा जिले के फतेहपुर के प्रजापत टोला में ग्राम सभा ने न केवल स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न किया है, बल्कि उन्हें रोजगार से भी संतुष्ट किया गया है। जयप्रकाश पंडित गाँव के एक ऐसे युवा हैं, जिन्होंने खेती छोड़ कर ग्राम सभा के लिए एक डाटा ऑपरेटर के रूप में काम करना शुरू कर दिया।

आज, पंडित एक डाटा ऑपरेटर के रूप में अपने अनुभवों को साझा करने में गर्व महसूस करते हैं और कैसे वे अपने गाँव में एक सामुदायिक नेता के रूप में काम कर रहे हैं।

“मैं अपने गाँव में होने वाली सभी बैठकों और चर्चाओं की रिपोर्ट बनाता हूँ। फिर मैं इन्हें दूसरे समुदाय के नेताओं को समझाता हूँ, और चर्चा करता हूँ कि हम गाँव के लिए क्या कर सकते हैं। यह मुझे अपने साथी ग्रामीणों के साथ जुड़ने और जागरूकता फैलाने में सक्षम होने के लिए बहुत खुशी देता है,” पंडित ने कहा।

इससे पहले, गाँव अपने दम पर चलता था और हर व्यक्ति अपने फैसले खुद लेता था। पंडित ने कहा, एक समुदाय की भावना गायब थी। “जब सामुदायिक नेतृत्व की यह नई लहर आई, तो मैंने महसूस किया कि हमें गाँव की प्रगति के लिए विचार करना और साझा करना है। और इसलिए मैं इस प्रक्रिया से जुड़ गया। मैंने सीखा कि ग्राम सभा की प्रक्रियाएँ कैसे काम करती हैं,” उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर, सचिव और उनका गुट अभी भी वैसी ही चीजें कर रहे हैं जैसी वे चाहते हैं। “मैंने उन्हें गलत काम करते देखा है। मेरे पास मेरे फोन पर तस्वीरें भी थीं, जो मुझे बाद में डिलीट करने के लिए मिलीं,” उन्होंने बताया।

पंडित ने पंचायत कार्यकर्ताओं की अनैतिक प्रथाओं के प्रति समर्पण नहीं किया और अपने मूल्यों के साथ खड़े रहे। इसी तरह का एक उदाहरण बताते हुए कि कैसे युवा समुदाय के नेता ग्रामीणों को उनका बकाया पाने में मदद कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुखिया अपने गाँव, दूसरे गाँव के लिए निवेदन करके पानी का पंप देना चाहते थे, लेकिन पंडित ने फैसले का विरोध किया।

पंडित ने सरकारी योजनाओं के लिए सर्वेक्षण भी किया है ताकि सभी ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सके। वह अपनी सफलता का एक बड़ा हिस्सा ग्राम स्वशासन अभियान के प्रतिनिधियों को देते हैं जिन्होंने उन्हें समर्पण के साथ अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया।

“जब से ग्राम स्वशासन अभियान के प्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में आए हैं, हमें लगता है कि हम वास्तव में उन चीजों को लागू कर सकते हैं जो हमारे गाँव को लाभ पहुँचाएँगी, और हमारे जीवन को बदल देंगी,” उन्होंने कहा।



Gram Sabha ensures construction of bridge for villagers' welfare

The Gram Sabha in Chiriya village of Manoharpur has come to the rescue of villagers who had to either use handmade boats or swim across a river to reach the other side of the village. The absence of a bridge connected either sides of the river was a major inconvenience, villagers said.

Not only has the Gram Sabha initiated the construction, but also mounted pressure on concerned officials and people's representatives for speedy construction of the bridge.

Libiya Barla, the Chairperson of the Gram Sabha, said that the credit of expediting the construction of the bridge goes to the Gram Sabha and its members. "The foundation of the bridge was not laid for two weeks. Then we had a Gram Sabha meeting and addressed a letter to the concerned authorities asking them to begin the construction work. Our initiative bore fruits," said Barla.

However, more hurdles continued to haunt the villagers as construction was halted again. Had it not been for the prompt initiatives of the Gram Sabha, the construction work would have got further delayed. "One day the engineer came and said that they needed some materials for further construction. Then the weather was unfavourable, and there was no progress in the work," said Barla.

When the weather became favourable again, the Gram Sabha contacted the local MLA and is still in touch with



her to ensure unhindered construction of the bridge. "The work will resume. I will continue the follow up over the phone with madam and the engineer," said Barla.

The Gram Sabha in this village did not trigger such visible changes before the Gram Swashasan Abhiyan project staff encouraged villagers to actively participate in the Gram Sabha. The new Gram Sabha, Barla said, was not only effective but also ready to take on challenges head on.

"If they don't arrange for the mud for construction, then we will have to talk to the engineer or our MLA. Whatever situation arises, we will ensure that the bridge is constructed," he said. "The Gram Sabha ensured that roads are constructed and people get pensions. We will ensure this too," he added.

ग्रामीणों की सुविधा के लिए पुल का निर्माण

पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर के रायकेरा पंचायत के पोखराडांड गांव में ग्राम सभा उन ग्रामीणों के अधिकारों को सजग करने के लिए सक्षम हुई है, जिन्हें गाँव के दूसरे छोर तक पहुँचने के लिए या तो हाथ से चलने वाली नावों का उपयोग करना पड़ता था या नदी के उस पार तैरना पड़ता था। ग्रामीणों ने कहा कि नदी के दोनों ओर एक पुल की अनुपस्थिति एक बड़ी असुविधा थी।

न केवल ग्राम सभा ने निर्माण शुरू किया है, बल्कि पुल के शीघ्र निर्माण के लिए संबंधित अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों पर भी दबाव बनाया है।

ग्राम सभा के अध्यक्ष लीबिया बारला ने कहा कि पुल के निर्माण में तेजी लाने का श्रेय ग्राम सभा और उसके सदस्यों को जाता है। "पुल की नींव दो सप्ताह तक नहीं रखी गई थी। फिर हमने एक ग्राम सभा की बैठक की और संबंधित अधिकारियों को एक पत्र संबोधित किया जिसमें उन्हें निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कहा गया। हमारी पहल का फल मिला है, "बारला ने कहा।

हालांकि, अनेक बाधाएं ग्रामीणों को परेशान करती रहीं क्योंकि निर्माण फिर से रुक गया था।

अगर यह ग्राम सभा की त्वरित पहल नहीं होती, तो निर्माण कार्य में और देरी होती। "एक दिन इंजीनियर ने आकर कहा कि उन्हें आगे के निर्माण के लिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता है। तब मौसम प्रतिकूल था, और काम में कोई प्रगति नहीं हुई थी, "बारला ने कहा।

जब मौसम फिर से अनुकूल हो गया, ग्राम सभा ने स्थानीय विधायक से संपर्क किया और अभी भी पुल के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए उनके संपर्क में है। "काम फिर से शुरू होगा। मैं फोन पर विधायक और इंजीनियर के साथ अनुवर्ती कार्रवाई जारी रखूंगा," उन्होंने कहा।

ग्राम स्वशासन अभियान के प्रतिनिधियों के द्वारा ग्रामीणों को ग्राम सभा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने से पहले इस गाँव में ग्राम सभा में इस तरह के कार्य नहीं किए। नई ग्राम सभा, बारला ने कहा, न केवल प्रभावी है बल्कि चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है।

"अगर वे निर्माण के लिए सामग्री की व्यवस्था नहीं करते हैं, तो हमें इंजीनियर या हमारे विधायक से बात करनी होगी। जो भी स्थिति पैदा होती है, हम सुनिश्चित करेंगे कि पुल का निर्माण हो। ग्राम सभा ने सुनिश्चित किया कि सड़कों का निर्माण हो और लोगों को पेंशन मिले। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे," बारला ने कहा।



Gram Sabha saves Pahadiya tribe members from homelessness

The Gram Sabha in Turka village of Jamtara district in Jharkhand is ensuring that members of the Pahadiya tribe - a Particularly Vulnerable Tribe Group (PVTG)- here do not lose their homes amid changing laws related to forestland.

Santosh Tudu, a member of the Gram Sabha in the village, said that some members of the Pahadiya tribe received notices from the government to vacate their houses this year. The poverty-stricken members of the tribe sought the Gram Sabha's help in dealing with the situation, and the latter was quick to respond, said Tudu.

"If they are chased out of here, then where will they go? They have to stay right here. The Gram Sabha took this decision and then wrote to the the BDO (Block Development Officer)," said Tudu. "We told the BDO that these people have got Indira Awas, and nobody can throw them out of their homes. We are yet to get a reply, but no fresh notice was sent to them after that," he added.

Tudu was not aware of the powers of Gram Sabha until project staff of Gram Swashasan Abhiyan visited the village and encouraged him to attend the meetings of Gram Sabha. "Earlier, we had only one meeting in a year. Now, we have a Gram Sabha meeting on the 27th of every month. People actively participate in it and share their problems. We try our level best to address them," Tudu said.

The Gram Sabha here has not only helped Pahadiya tribe members retain their houses, but also ensured that children get easy access to education. Santosh Hansda, another resident of the village, said that the Gram Sabha wrote to the government when the School Education and Literacy Department here decided to merge smaller schools with bigger ones.

"They decided that schools that have less than 40 students enrolled will be merged with bigger schools. We objected this move as our children would have to travel 2 kilometers to attend classes in the bigger school," said Hansda.



ग्राम सभा के हस्तक्षेप से पहाड़िया जनजाति के सदस्य बेघर होने से बचे

झारखंड में जामताड़ा जिले के तुड़का गांव में ग्राम सभा यह सुनिश्चित कर रही है कि पहाड़िया जनजाति के सदस्य—विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (PVTG) — यहाँ वन भूमि से संबंधित कानूनों को बदलने के बीच अपने घर न खोएँ।

गाँव में ग्राम सभा के सदस्य संतोष टुडू ने कहा कि पहाड़िया जनजाति के कुछ सदस्यों ने इस साल अपने घर खाली करने के लिए सरकार से नोटिस प्राप्त किए। टुडू ने कहा कि जनजाति के गरीबी से त्रस्त सदस्यों ने स्थिति से निपटने में ग्राम सभा की मदद मांगी और ग्राम सभा ने इस पर जल्द कार्रवाई की।

“अगर हमें यहाँ से बाहर निकाला जाता है, तो हम कहाँ जाएंगे? हमें यहीं रहना होगा। ग्राम सभा ने यह निर्णय लिया और फिर बीडीओ (प्रखंड विकास अधिकारी) को लिखा,” टुडू ने कहा। “हमने बीडीओ से कहा कि हम लोगों को इंदिरा आवास मिल गया है, और कोई भी हमें अपने घरों से बाहर नहीं फेंक सकता है। हमें जवाब मिलना बाकी है, लेकिन उसके बाद कोई ताजा नोटिस नहीं भेजा गया।

टुडू को ग्राम सभा की शक्तियों के बारे में पता नहीं था, जब तक कि ग्राम स्वशासन अभियान के प्रतिनिधियों ने गाँव का दौरा नहीं किया और उन्हें ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। “इससे पहले, हम एक साल में केवल एक ही बैठक करते थे। अब, हमारी हर महीने की 27 तारीख को ग्राम सभा बैठक होती है। लोग सक्रिय रूप से इसमें भाग लेते हैं और अपनी समस्याओं को साझा करते हैं। हम उन्हें संबोधित करने के लिए अपने स्तर पर पूरी कोशिश करते हैं,” टुडू ने बताया।

यहां की ग्राम सभा ने न केवल पहाड़िया जनजाति के सदस्यों को अपने घर बनाए रखने में मदद की है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में आसानी हो। गांव के एक अन्य निवासी संतोष हांसदा ने कहा कि ग्राम सभा ने सरकार को तब लिखा जब स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने छोटे स्कूलों को बड़े स्कूलों के साथ मिलाने का फैसला किया।

“उन्होंने फैसला किया कि जिन स्कूलों में 40 से कम छात्र नामांकित हैं, उनका विलय बड़े स्कूलों में किया जाएगा। हमने इस कदम पर आपत्ति जताई क्योंकि हमारे बच्चों को बड़े स्कूल में कक्षाओं में भाग लेने के लिए 2 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी, “हांसदा ने कहा।



Tirla villagers raise voice to fight power cuts

Effective and prompt actions taken by the Gram Sabha in Tirla village of Manoharpur block of West Singhbhum district in Jharkhand has ensured that villagers don't have to live in darkness at night because of defunct transformers.



The villagers here have not only used the powers vested in the Gram Sabha to their advantage but also created a kitty for bearing the expenses of writing letters to concerned authorities.

Gopal Kacchap, the chairman of Tirla Gram Sabha, said that the village body collects Rs.5 from each household every month and uses the sum for addressing letters to the authorities. "All of the issues that affect us as a villager discussed in the Gram Sabha meetings held on the seventh day of every month. We discuss issues related to roads, electricity, pension, birth certificate, and so on. We also give information about the Government schemes that are announced, and write letters seeking intervention of the Government authorities in addressing our problems," he said.

Santosh Sindhu, another resident of the village, said that the transformer in his village caught fire once and the Gram Sabha's timely intervention got it fixed within days. "

"We called for a Gram Sabha meeting after the power cut, and decided that each of us would contact whoever we knew who could help us find a solution to this problem," said Sindhu. "After this meeting, we wrote a letter regarding this and went to the Electricity office and submitted it there. The person at the office said they would get it fixed. And within five days they replaced the transformer," he added.

Sindhu said that such effective and quick solutions to problems would not be possible without the Gram Sabha. "It would have taken a year to get it (transformer) fixed. In fact we had earlier collected money to get a transformer for us, but it didn't work," he said.

Now the Gram Sabha meets regularly, everyone is aware about what they can do together, said Sindhu, adding, "We are writing letters to the authorities, and things are running much more smoothly."

The Gram Sabha, he said, has given a voice to the villagers here. And they wouldn't know about the benefits of participating in the Gram Sabha had the project staff of Gram Swashasan Abhiyan not spread awareness in the village about the advantages of having a functional Gram Sabha.

"We have had the Gram Sabha for a long time, but it was only for namesake. But now there is more awareness about what we can do, how to take action to resolve issues. Now more people participate in it," said Sindhu.

तिरला के ग्रामीण बिजली कटौती के खिलाफ आवाज उठाते हैं

झरखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर ब्लॉक के तिरला गाँव में ग्राम सभा द्वारा प्रभावी और त्वरित कार्रवाई ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि ग्रामीणों को रात के समय खराब ट्रांसफार्मर के कारण अंधेरे में नहीं रहना पड़े।

यहाँ के ग्रामीणों ने अपने लाभ के लिए ग्राम सभा में निहित शक्तियों का न केवल उपयोग किया है, बल्कि संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखने के खर्च को वहन करने के लिए एक समूह भी बनाया है।

तिरला ग्राम सभा के अध्यक्ष गोपाल कच्छप ने कहा कि ग्राम निकाय हर महीने प्रत्येक घर से 5 रुपये एकत्र करते हैं और अधिकारियों को पत्र संबोधित करने के लिए राशि का उपयोग करते हैं। "एक गाँव के रूप में हमें प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों पर हर महीने के सातवें दिन ग्राम सभा की बैठकों में चर्चा की जाती है। हम सड़कों, बिजली, पेंशन, जन्म प्रमाण पत्र, आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हम उन सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी देते हैं जिनकी घोषणा की गई है, और हमारी समस्याओं को दूर करने में सरकारी अधिकारियों के हस्तक्षेप की मांग करते हुए पत्र लिखते हैं," उन्होंने कहा।

गाँव के एक अन्य निवासी संतोष सिंधु ने कहा कि उनके गाँव में ट्रांसफार्मर में एक बार आग

लग गई और ग्राम सभा का समय पर करवाई की ।

सिंधु ने कहा, “हमने बिजली कटौती के बाद एक ग्राम सभा की बैठक बुलाई और फैसला किया कि हम में से हर कोई संपर्क करेगा जो हमें पता है कि कौन इस समस्या का समाधान खोजने में हमारी मदद कर सकता है,” सिंधु ने कहा । “इस बैठक के बाद, हमने इस संबंध में एक पत्र लिखा और विद्युत कार्यालय गए और वहां इसे प्रस्तुत किया । कार्यालय के व्यक्ति ने कहा कि वे इसे ठीक करवा देंगे और पांच दिनों के भीतर उन्होंने ट्रांसफार्मर बदल दिया गया,” उन्होंने बताया ।

सिंधु ने कहा कि समस्याओं का इतना प्रभावी और त्वरित समाधान ग्राम सभा के बिना संभव नहीं हो पाता “इसे (ट्रांसफार्मर) ठीक करने में एक साल लग जाता । वास्तव में हमने पहले हमारे लिए एक ट्रांसफार्मर प्राप्त करने के लिए धन एकत्र किया था, लेकिन यह काम नहीं किया, “उन्होंने कहा ।

अब ग्राम सभा नियमित रूप से मिलती है, हर कोई इस बारे में जागरूक होता है कि वे एक साथ क्या कर सकते हैं, सिंधु ने कहा, “हम अधिकारियों को पत्र लिख रहे हैं, और चीजें बहुत आसानी से चल रही हैं ।

उन्होंने कहा कि ग्राम सभा ने यहां के ग्रामीणों को एक आवाज दी है । ग्राम सभा में भाग लेने के लाभों के बारे में ग्राम स्वशासन अभियान के प्रतिनिधियों ने कार्यात्मक ग्राम सभा होने के लाभों के बारे में गाँव में जागरूकता फैलाई जिसका ग्रामवासियों को बहुत लाभ मिला ।

“हमने लंबे समय तक ग्राम सभा की है, लेकिन यह केवल नाम के लिए था । लेकिन अब इस बारे में अधिक जागरूकता है कि हम क्या कर सकते हैं, मुद्दों को हल करने के लिए कार्रवाई कैसे करें । अब अधिक लोग इसमें भाग लेते हैं,” सिंधु ने कहा ।



Gram Sabha takes steps to compensate Francisca for elephant menace

It was a catastrophic night for Francisca Minj, a resident of Bendoga village in Gumla district when a herd of elephants destroyed her house and ate up foodgrains and other items stocked up for the rainy days. The poor tribal woman had nowhere to go but to shed tears for her loss.

"The elephant crowd came in the evening at around 7 PM. There were loud noises all around from people and elephants were destroying several things. Here at my place they arrived at around 8 PM. The elephants were furious. They were destroying everything on their way, they damaged the roof and the clay walls, the door came out with the wall. The elephants attacked the stock of Paddy, 'Urad' (Black pulse), vessels, hen, cattle, vegetables in the kitchen garden, etc. Around one quintal of rice, 20 Kgs of 'Urad' (Black pulse), few grown up hen, household vessels, doors and structures, everything was destroyed," remembers Francisca.

"They just played with the plants in my kitchen garden. Maize, corn, ground nut and some other vegetables potato, tomato, cabbage, cauliflower, etc were completely destroyed. It was a huge loss. We saw the animals attacking, somehow three of us at home escaped. We ran to different directions. The elephants were for more than an hour in this location itself, earlier the elephants did destruction in the other hamlet for one hour," she says in a melancholy voice.

The illiterate lady, however, recounts how the awareness and empowerment campaign run by Gram Swashasan Abhiyan helped her apply for compensation to her loss.

"The concept of Gram Sabha was shared with us by project staff of Gram



Swashasan Abhiyan and their associates. So, a Gram Sabha was organized and in the meeting all reports were taken into account. The members of the Gram Sabha reported the incident and then administrative officials, police and forest department personnel came here to witness and record the destruction by elephants. My application was processed and few documentary works were done in the Gram Sabha meeting. It was discussed that the formalities are being done for the compensation," she says.

Even after losing so much, Francisca is hopeful and happy that with the efforts of the Gram Sabha she will get the compensation funds to restart her life afresh. "When the amount comes we will firmly construct the house, for emergency we somehow repaired the house temporarily. Dogs and other cattle used to enter the house. It was necessary to counter the rain as well as entry points of animals," she says with a smile.

हाथियों के तांडव से ग्राम सभा ने फ्रांसिस्का को मुआवजा दिलाने में मदद की

गु मला जिले के चैनपुर में बेंदोगा गांव के निवासी फ्रांसिस्का मिंज के लिए एक भयावह रात थी, जब हाथियों के झुंड ने उसके घर को नष्ट कर दिया और खाद्यान्न और अन्य सामानों को बर्बाद कर छोड़ा। उस गरीब आदिवासी महिला को अपने नुकसान के लिए आंसू बहाने से भी कोई फायदा नहीं था।

"शाम को लगभग 7 बजे हाथियों का झुण्ड आ गया था। हाथी कई चीजों को नष्ट कर रहे थे और लोग शोर मचा रहे थे। यहां मेरे स्थान पर वे लगभग 8 बजे पहुंचे। हाथी उग्र थे। वे अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर रहे थे, उन्होंने छत और मिट्टी की दीवारों को नुकसान पहुंचाया, दरवाजा दीवार के साथ बाहर आ गया। हाथियों ने धान, 'उड़द' (काली दाल), बर्तन, मुर्गी, मवेशी, किचन गार्डन में सब्जियाँ इत्यादि पर लगभग एक क्विंटल चावल, 20 किलोग्राम 'उड़द' (काली दाल) सबको नष्ट कर दिया दिया। मुर्गी, घरेलू सामान, दरवाजे और संरचनाएं, सब कुछ नष्ट हो गया," फ्रांसिस्का बताती हैं।

"वे मेरे बगीचे में लगे मकई, बादाम और कुछ अन्य सब्जियों आलू, टमाटर, गोभी, फूलगोभी, को भी नष्ट कर गए। यह बहुत बड़ा नुकसान था। हमने जानवरों को हमला करते देखा,

किसी तरह हम तीनों (बच्चों के साथ) घर से भाग निकले। हम अलग-अलग दिशाओं में भागे। इस स्थान पर हाथी एक घंटे से अधिक समय तक रहे थे, इससे पहले हाथियों ने एक घंटे के लिए दुसरे गाँव में विनाश किया था," वह एक उदास आवाज में कहती है।

फ्रांसिस्का बताती है कि ग्राम स्वशासन अभियान द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता और सशक्तिकरण अभियान ने उसे नुकसान के मुआवजे के लिए आवेदन करने में मदद की।

"ग्राम सभा की अवधारणा हमारे साथ ग्राम स्वशासन अभियान के प्रतिनिधियों और उनके सहयोगियों द्वारा साझा की गई थी। इसलिए, एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया और बैठक में सभी रिपोर्टों को ध्यान में रखा गया। ग्राम सभा के सदस्यों ने इस घटना की सूचना दी और फिर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और वन विभाग के कर्मचारी हाथियों द्वारा विनाश को देखने और रिकॉर्ड करने के लिए यहां आए। मेरे आवेदन पर कार्रवाई की गई और ग्राम सभा की बैठक में कुछ दस्तावेजी काम किए गए। चर्चा की गई कि मुआवजे के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

इतना कुछ खोने के बाद भी, फ्रांसिस्का को आशा और वह खुश है कि ग्राम सभा के प्रयासों से उसे अपने जीवन को फिर से शुरू करने के लिए मुआवजा राशि मिलेगी। "जब राशि आती है तो हम मजबूती से घर का निर्माण करेंगे, आपातकाल के लिए हमने किसी तरह अस्थायी रूप से घर की मरम्मत की। कुत्ते और अन्य मवेशी घर में घुस जाते थे। यह बारिश के साथ-साथ जानवरों के प्रवेश बिंदुओं का मुकाबला करने के लिए आवश्यक था, "वह एक मुस्कान के साथ कहती है।



Villagers use Gram Sabha to save their land

Girish Pujhar, a resident of Tudka in Jamtara district, was living a normal life until he got government notice for eviction of land he was living in for over 35 years. The man, along with several other villagers were served notice for evacuation thrice from the circle officer's office, until they protested against it through the Gram Sabha.

"We were living our lives happily till the Circle Office sent us notice for evacuation. It suggested to immediately leave the place we are living in. This was despite the fact that we have the land rights (record), which was provided many years back from BDO Kundahit, which was our administrative block office earlier. Now, after the separation of Jamtara from Dumka district, our Circle now comes under Fatehpur block," says Pujhar.

"We are residing here for the past 30-35 years. The village i.e. the community here provided us the space to stay, since we are landless the Tudka village people (The traditional Gram Sabha) approved and allowed us to stay here," he added.

Pujhar said that they became really disturbed when a notice from the office of the Sub Divisional Office, Jamtara suddenly reached them asking the villagers to evacuate the land within 10 days.

"Earlier, we were not aware of the powers of Gram Sabha, but with the regular awareness campaigns and help of project staff of Gram Swashasan Abhiyan we came to know that we have enough powers for local self-governance," he says.

"As soon as we got the letter from SDO office a



Gram Sabha was organized. The Gram Sabha members and the 'Manjhi Hadam' (The traditional Gram Sabha leader) all spoke the single rigid line 'We the Gram Sabha and the village head has approved the PVTG families to stay in this village, now which Gram Sabhas has decided to remove these families from here?' The Gram Sabha with all the copies of land record (issued to these PVTG families) and resolution questioned the SDO making a copy to the CO & BDO through a letter by Gram Sabha with the resolution copy of the Gram Sabha," he recounts.

The villager says that after the Gram Sabha raised the issue and vehemently supported the PVTG community, no notice or order from any of the administrative offices has arrived and they are safely staying at their place. "The Gram Sabha and the community are with us and the Gram Sabha is committed that since, land records i.e. land has been authorized and already issues by administration on the sanction approved by Gram Sabha, there is no point of any kind of evacuation as Gram Sabha doesn't want that these families to be evacuated. So, we are happy to have support of the Gram Sabha," he says.

ग्राम सभा के अधिकार से ग्रामीण अपनी जमीन बचाते हैं

जामताड़ा जिले के तुड़का के निवासी गिरीश पुजहर 35 साल से अधिक समय से जिस जमीन पर रह रहे थे, उसे बेदखल करने के लिए सरकारी नोटिस मिलने तक वह सामान्य जीवन जी रहे थे। अचानक एक दिन उन्हें सर्कल ऑफिसर के कार्यालय से जमीन खाली करने के लिए नोटिस दिया गया। इस तरह के तीन आदेश उनको मिले, जब तक कि उन्होंने ग्राम सभा के माध्यम से इसका विरोध नहीं किया।

उन्होंने कहा, "हम सर्किल ऑफिस से सूचना मिलने तक खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। नोटिस में उस जगह को तुरंत छोड़ने की बात थी जिसमें हम रह रहे हैं। यह इस तथ्य के बावजूद था कि हमारे पास भूमि अधिकार (रिकॉर्ड) है, जो बीडीओ कुंडाहित से कई साल पहले प्रदान किया गया था, जो पहले हमारा प्रशासनिक ब्लॉक कार्यालय था। अब दुमका जिले से जामताड़ा के अलग होने के बाद, हमारा सर्किल अब फतेहपुर ब्लॉक में आता है।

“हम पिछले 30–35 वर्षों से यहां निवास कर रहे हैं। गांव, यानी यहाँ के समुदाय ने हमें रहने के लिए स्थान प्रदान किया, क्योंकि हम तुड़का गांव के लोग भूमिहीन हैं (पारंपरिक ग्राम सभा) ने हमें स्वीकृति दी और हमें यहाँ रहने की अनुमति दी,” उन्होंने कहा।

पुजहर ने कहा कि वे वास्तव में परेशान हो गए जब सब डिवीजनल ऑफिस के कार्यालय से एक नोटिस उनके पास पहुंचा और ग्रामीणों से 10 दिनों के भीतर जमीन खाली करने को कहा।

“इससे पहले, हम ग्राम सभा की शक्तियों के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन नियमित जागरूकता अभियानों और ग्राम स्वशासन अभियान के प्रतिनिधियों की मदद से हमें पता चला कि हमारे पास स्थानीय स्व-शासन के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं,” उन्होंने बताया।

“जैसे ही हमें एसडीओ कार्यालय से पत्र मिला एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा के सदस्य और ‘मांझी हड़ाम’ (पारंपरिक ग्राम सभा के नेता) सभी ने एक ही पंक्ति में बात की थी ‘हम ग्राम सभा और ग्राम प्रधान ने PVTG परिवारों को इस गाँव में रहने की स्वीकृति दी है, तो अब किस ग्राम सभा ने इन्हें हटाने का फैसला किया है?’ ग्राम सभा ने भू-अभिलेख की सभी प्रतियों (इन पीवीटीजी परिवारों को जारी किए गए) और संकल्प ने एसडीओ को ग्राम सभा द्वारा एक पत्र के माध्यम से सीओ और बीडीओ को एक प्रति देते हुए प्रश्न किया,” पुजहर ने बताया।

ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा ने इस मुद्दे को उठाने और पीवीटीजी समुदाय का समर्थन करने के बाद किसी भी प्रशासनिक कार्यालय से कोई नोटिस या आदेश नहीं आया है और वे अपने स्थान पर सुरक्षित रूप से रह रहे हैं। “ग्राम सभा और समुदाय हमारे साथ हैं और ग्राम सभा इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि चूंकि, ग्राम अभिलेख अर्थात भूमि को अधिकृत किया गया है और पहले से ही ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित अनुमोदन पर प्रशासन द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए किसी भी प्रकार की निकासी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ग्राम सभा नहीं चाहती कि इन परिवारों को खाली कराया जाए। इसलिए, हम ग्राम सभा का समर्थन पाकर खुश हैं,” एक और ग्रामीण ने बताया।



Getting their rights through Gram Sabha

Lalchand Pujar, a member of the Pahadiya community (A Primitive Tribal Group) in Jharkhand had no idea of Gram Sabha until the project staff of Gram Swashasan Abhiyan started them making aware of the concept of local self-governance and their rights as members of the Gram Sabha.

Pujar, a resident of Chapudiya Panchayat in Jamtara, is a member of Gram Sabha now. He, along with the fellow villagers have been holding regular meetings of the Gram Sabha on various issues of their interest and taking decisions that will matter the most for them.

"At first we did not know what the Gram Sabha is. Then, a project staff of Gram Swashasan Abhiyan started coming to our village and we started understanding the concept of Gram Sabha and also about our rights. We follow most of the guidelines prescribed as per the statute. If 100 people gather in the meetings, at least 30 of them should be women. As we started having regular meetings like this, we began to understand what the Gram Sabha is and what it can do for us. We learnt how to plan about things. We became united about many things. We had people take on roles and responsibilities, and we had good ideas on how to take our village and our region to a better way of living," claims Pujar.

He happily counts achievements of the Gram Sabha saying, "We have been able to get solutions for five of the 10 problems we were encountering. We got the solar water pump installed in the village. It gave much relief to all of us that we don't have to go far to fetch clean drinking water. Also, we have resolved many conflicts in the village that was earlier not possible. The Gram Sabha has helped in many ways."

Notably, the Pahadiya tribe has been living in the area for over 2000 years. "We were the first tribe to come who is now part of the Santhal tribal community. In the year 321 BC, when Chandra Gupta Maurya was the ruler in Patna, we were here in the area of Bhagalpur. We have our own language; we call it the Pahadiya language," says Pujar.



ग्राम सभा के माध्यम से अधिकारों का ज्ञान

ज्ञा रखंड में पहाड़िया समुदाय (एक आदिम जनजाति समूह) के सदस्य लालचंद पुजहर को तब तक ग्राम सभा का कोई पता नहीं था, जब तक कि ग्राम स्वशासन अभियान के प्रतिनिधियों ने उन्हें स्थानीय स्वशासन की अवधारणा और ग्राम सभा के सदस्यों के रूप में उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना शुरू नहीं कर दिया था।

चापुड़िया पंचायत जामताड़ा में रहने वाले पुजहर अब ग्राम सभा के सदस्य हैं। उनके साथ साथ दूसरे ग्रामीणों ने भी अपने हित के विभिन्न मुद्दों पर ग्राम सभा की नियमित बैठकों का आयोजन शुरू किया और ऐसे फैसले लिए जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखेंगे।

“पहले तो हम यह नहीं जानते थे कि ग्राम सभा क्या होती है। फिर, ग्राम स्वशासन अभियान के एक प्रतिनिधि हमारे गांव में आने लगे और हमने ग्रामसभा की अवधारणा और हमारे अधिकारों के बारे में भी समझना शुरू कर दिया। हम कानून के अनुसार निर्धारित अधिकांश दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। यदि 100 लोग सभाएँ करते हैं, तो उनमें से कम से कम 30 महिलाएँ होनी चाहिए। जैसे-जैसे हम नियमित बैठकें करने लगे, हमें समझ में आने लगा कि ग्राम सभा क्या है और यह हमारे लिए क्या कर सकती है। हमने सीखा कि चीजों के बारे में कैसे योजना बनाई जाए। हम कई चीजों के बारे में एकजुट हो गए। हमारे पास लोग भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को लेकर थे, और हमारे विचार थे कि हमारे गाँव और हमारे क्षेत्र को जीवन यापन के बेहतर तरीके तक कैसे ले जाया जाए,” पुजहर का कहना है।

वह खुशी से ग्राम सभा की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहते हैं, “हम जिन 10 समस्याओं का सामना कर रहे थे, उनमें से पाँच के लिए हम समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमें गाँव में सोलर वाटर पंप स्थापित किया गया। इसने हम सभी को बहुत राहत दी कि हमें पीने का साफ पानी लाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही, हमने गाँव में कई संघर्षों को हल किया है जो पहले संभव नहीं था। ग्राम सभा ने कई तरह से मदद की है।”

“हम आने वाले पहले जनजाति थे जो अब संथाल आदिवासी समुदाय का हिस्सा हैं। 321 ईसा पूर्व में, जब चन्द्र गुप्त मौर्य पटना में शासक थे, हम यहाँ भागलपुर के क्षेत्र में थे। हमारी अपनी भाषा है हम इसे पहाड़िया भाषा कहते हैं।”



Women unite for their rights through Gram Sabhas

Like most parts of the country participation of women in local self governance was distant dream for women residents of Tirla village in Manoharpur of Chaibsa district. Women were unaware of their rights and



were shy enough to attend meetings and raise their issues of interest. However, with the intervention of project staff of Gram Swashasan Abhiyan in the area a large number of women have not only come forward to speak their mind and raise issues but also have their say in the decision making process at the Gram Sabha.

Goreti Barla of Tirla village says, "Earlier, women were not part of the Gram Sabha. Only one or two would even attend it. We went to the women's meetings and told them that we have right to be at the Gram Sabha Meetings, speak there and have our opinions heard. We told the senior women in the Mahila Samiti that they could be at their own Gram Sabhas in their village and asked everyone to spread the information. So that every woman could know that she could come to the Gram Sabha and express the problems she was facing and could get a solution to it. Now the women are participating more. We get large numbers of women attending now."

Today a large number of issues are raised by women in the Gram Sabha, she says. "Widows in the village had to struggle for many years to get their husbands' death certificates. The Gram Sabha has facilitated many of them to get the certificates. Also, illiterate women hesitate to leave their houses as they often have to spend more to get things done. The gram Sabha helps such women for documentation

works and other works. Now, women are coming to the Gram Sabha more openly and with confidence to get their issues resolved. There are lots of benefits - the biggest thing is that women are participating in it," she says.

Barla said that the participation of women in Gram Sabha has increased from 20 per cent to 50 per cent.

"Slowly, our awareness has grown. When the Women's Wing started here, I became a member. I have realised what rights we have and how to use them effectively. I go door to door, explaining to the women how they can be involved in the process, how they should attend the meetings," said another woman of the village.

"We should not remain silent any more. We have rules and laws in our favour and as our awareness grew, we were able to speak with our brothers in the village, and the older men, and say that we need a proper Gram Sabha," she added.

ग्राम सभा ने महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए एकजुट किया

रथानीय स्वशासन में महिलाओं की देश के अधिकांश हिस्सों की तरह जो स्थिति है, चाईबासा जिले के मनोहरपुर के तिरला गांव की महिलाओं के लिए भी वह एक दूर का सपना था। महिलाएं अपने अधिकारों से अनभिज्ञ थीं और बैठकों में भाग लेने और अपनी रुचि के मुद्दों को उठाने के लिए काफी शर्मीली थीं।

आज, क्षेत्र में ग्राम स्वशासन अभियान के प्रतिनिधियों के कार्यक्रम की वजह से बड़ी संख्या में महिलाएं न केवल अपने मन की बात कहने और मुद्दों को उठाने के लिए आगे आई हैं, बल्कि ग्राम सभा में निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी अपनी बात रखती हैं।

तिरला गाँव की गोरेती बारला कहती हैं, "पहले महिलाएँ ग्राम सभा का हिस्सा नहीं थीं। केवल एक या दो इसमें शामिल होती होंगी। हम महिलाओं की बैठकों में गए और उनसे कहा कि हमें ग्राम सभा की बैठकों में रहने का अधिकार है, वहां बोलें और हमारी राय सुने। हमने महिला समिति में वरिष्ठ महिलाओं से कहा कि वे अपने गाँव में अपने ग्राम सभाओं में शामिल हो सकती हैं और सभी को जानकारी फैलाने के लिए कहा। ताकि प्रत्येक महिला को पता चल सके कि वह ग्राम सभा में आ सकती है और उन समस्याओं को व्यक्त कर सकती है जो उसका सामना कर रही हैं और इसका समाधान पा सकती हैं। अब महिलाएं अधिक भाग ले रही हैं। अब हम बड़ी संख्या में महिलाओं को भाग लेते हैं।

आज ग्राम सभा में महिलाओं द्वारा बड़ी संख्या में मुद्दे उठाए जाते हैं। "गाँव की विधवाओं को अपने पति के मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक संघर्ष करना पड़ता था। ग्राम सभा ने प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उनमें से कई की सुविधा दी है। इसके अलावा, अनपढ़ महिलाएं अपने घर छोड़ने में संकोच करती हैं क्योंकि उन्हें अक्सर काम करवाने के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है। ग्राम सभा ऐसी महिलाओं को प्रलेखन कार्यों और अन्य कार्यों के लिए मदद करती है। अब, महिलाएं अपने मुद्दों को हल करने के लिए और अधिक विश्वास के साथ ग्राम सभा में आ रही हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं – सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं इसमें भाग ले रही हैं।

बराला ने कहा कि ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी 20 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गई है।

"धीरे-धीरे, हमारी जागरूकता बढ़ी है। जब महिला विंग की शुरुआत हुई, तब मैं सदस्य बन गई। मुझे एहसास हुआ कि हमारे पास क्या अधिकार हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से कैसे उपयोग किया जाए। मैं घर-घर जाकर महिलाओं को समझाती हूँ कि वे इस प्रक्रिया में कैसे शामिल हो सकती हैं, उन्हें बैठकों में कैसे शामिल होना चाहिए, "गांव की एक अन्य महिला ने कहा।

"हमें अधिक चुप नहीं रहना चाहिए। हमारे पक्ष में नियम और कानून हैं और जैसे-जैसे हमारी जागरूकता बढ़ी, हम गाँव में अपने भाइयों, और बड़े लोगों के साथ बात करने में सक्षम थे, और कहते हैं कि हमें एक उचित ग्राम सभा की आवश्यकता है, "उसने कहा।



Pursuit of justice through Gram Sabha

Life came to a standstill for Shushila Tigga, a resident of Tirla village in Manoharpur of West Singhbhum district when she lost her child in a road accident three years ago. Unaware of their rights, the poor lady could not approach the authorities for justice.

However, with the awareness campaigns run by project staff of Gram Swashasan Abhiyan about local self governance through Gram Sabhas the woman, among many others like her are now aware of the rights she has and they can now stand up for justice.

"Earlier, the condition of roads in our village was very bad. Even if there was any emergency with the children, it was difficult to travel with them. Three years ago, my child was run over by a tractor because of the bad roads in the village and because we were illiterate, we could not save his life. The person who was responsible said he would give me employment, but when I went there, he said there is no longer a job for me there. I don't know where to go to find a solution," said Tigga.

"The Gram Sabha can take some measures on this issue and ensure that such an incident never happens again. The children are taken to school on the tractors - and that's how the accident took place. At the time, we didn't have a Gram Sabha like we do now. We didn't have any information about what was happening with the case, and no one could do anything. Now, we have the awareness that if any such incident or accident happens in our village, we can pursue a course of justice through our Gram Sabha. This has been declared by our Gram Sabha," she added.

Tigga said that earlier also the Gram Sabha was there, but only few people would gather, they would maintain their register, and make decisions among themselves. "The Gram Sabha did not take opinion of people as most of them



were unaware of their rights. However, with regular awareness campaigns by PHIA Foundation representatives the situation has changed and the participation of people has grown manifolds," she added.

According to fellow villagers the Gram Sabha is working in their village in a very effective way. They discuss issues of common interest and make sure that their voices are heard at the higher levels.

ग्राम सभा के माध्यम से न्याय की खोज

पश्चिम सिंहभूम जिले के मनोहरपुर के तिरला गाँव की रहने वाली सुशीला टीग्गा के लिए जीवन तब अस्त-व्यस्त हो गया जब उसने तीन साल पहले एक सड़क दुर्घटना में अपने बच्चे को खो दिया। अपने अधिकारों से अनजान, गरीब महिला न्याय के लिए अधिकारियों से संपर्क नहीं कर सकी।

हालांकि, ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय स्वशासन के बारे में ग्राम स्वशासन अभियान द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों के कारण सुशीला और अन्य कई महिलाएं तथा अन्य लोगों को अब उनके अधिकारों के बारे में पता है और वे अब न्याय के लिए खड़े हो सकते हैं।

"इससे पहले, हमारे गाँव की सड़कों की हालत बहुत खराब थी। यहां तक कि अगर बच्चों के साथ कोई भी आपात स्थिति होती थी, तो उनके साथ यात्रा करना मुश्किल था। तीन साल पहले, मेरे बच्चे को गाँव में खराब सड़कों के कारण एक ट्रैक्टर द्वारा कुचल दिया गया था और क्योंकि हम अनपढ़ थे, इसलिए हम उसकी जान नहीं बचा सके। जो व्यक्ति जिम्मेदार था, उसने कहा कि वह मुझे रोजगार देगा, लेकिन बाद में जब मैं वहाँ गई तो उसने कहा कि अब मेरे लिए वहाँ नौकरी नहीं है," तिग्गा ने कहा।

"ग्राम सभा इस मुद्दे पर कुछ उपाय कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि ऐसी घटना फिर कभी न हो। बच्चों को ट्रैक्टरों पर स्कूल ले जाया जाता है शायद इसलिए ऐसी दुर्घटना होती है। उस समय, हमारे पास एक ग्राम सभा नहीं थी जैसे हम अभी करते हैं। हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि मामले के साथ क्या हो रहा था, और कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता था। अब, हमारे पास यह जागरूकता है कि ऐसी कोई भी घटना या दुर्घटना हमारे गाँव में होती है, हम अपनी ग्राम सभा के माध्यम से न्याय का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। यह हमारी ग्राम सभा द्वारा घोषित किया गया है," उसने कहा।

तिग्गा ने कहा कि पहले भी ग्राम सभा होती थी, लेकिन बहुत कम लोग इकट्ठा होते थे, वे अपना रजिस्टर बनाए रखते थे, और आपस में निर्णय लेते थे। "ग्राम सभा ने लोगों की राय नहीं ली क्योंकि उनमें से अधिकांश अपने अधिकारों से अनजान थे। हालांकि, PHIA फाउंडेशन के प्रतिनिधियों द्वारा नियमित जागरूकता अभियानों के साथ स्थिति बदल गई है और लोगों की भागीदारी कई गुना बढ़ गई है।

साथी ग्रामीणों के अनुसार ग्राम सभा उनके गाँव में बहुत प्रभावी तरीके से काम कर रही है। वे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उनकी आवाज उच्च स्तरों पर सुनी जाती है।

The way forward



With their untiring efforts of PHIA & APPI along with four CSO partners in Jharkhand, the Gram Swashasan Abhiyan has crossed several landmarks during the two-year work. The program has brought about change in the lives of thousands of people, who were earlier alien to the concept of local self governance. A huge chunk of tribal population that was far away from the Panchayati Raj system is now understading the concept of Gram Swashasan and the villagers are now exercising their powers and raising voice for their rights at the appropriate forum. They have also awakened to seek an equal and just system from the government that would provide them all that is approved for them by the policy makers.

PHIA, in association with APPI and its CSO partners, has provided much needed confidence and courage to the people in the villages by sensitizing them to secure their rights and entitlements through Gram Sabhas. Members of the socially excluded communities are also coming forward to the mainstream by way of participation in the Gram Sabha and they are now confident enough to raise issues of their interest before the authorities. Notably, the government machinery is also working in tadem with the people who are aware of their rights and entitlements.

The Gram Swashasan Abhiyan has not only impacted the lives of people where the Program is being undertaken but the bugle of local

self governance has also been sounded in many villages that are adjacent to the program areas. The words of awareness is spreading across various areas of the three districts where the program is being run and the knowledge of one's rights is empowering more and more people every day.

With the perseverance and tireless efforts of the members of CSO partners, PHIA Foundation and APPI the Gram Swashasan Abhiyan is set to be a gamechanger in terms of empowering thousands of people in tribal areas of Jharkhand about their rights. It has already triggered a social transformation in many of the backward areas of the State, which was earlier devoid of the concept of self governance.

A program like Gram Swashasan Abhiyan is the need of the hour in a State like Jharkhand where poverty, lack of education and even starvation is a common issue. The program, in due course, will surely impact lives of thousands of villagers and their acquaintances leading them to the path of development and enlightenment towards their rights.

आगे की राह

झारखंड में PHIA फाउंडेशन और APPI ने चार भागीदार संस्थाओं के साथ अपने अथक प्रयासों से, ग्राम स्वशासन अभियान के दो साल के सफर के दौरान कई मंजिलों को पार किया है। इस कार्यक्रम ने उन हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है, जो पहले स्थानीय स्वशासन की अवधारणा से अलग थे। आदिवासी आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो पंचायती राज व्यवस्था से बहुत दूर था, अब ग्राम स्वशासन की अवधारणा को समझ रहा है और ग्रामीण अब अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं और उचित मंच पर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने सरकार से एक समान और न्यायपूर्ण प्रणाली की भी मांग की है जो उन्हें नीति निर्माताओं द्वारा उनके लिए स्वीकृत सभी अधिकार प्रदान करेंगे।

APPI और PHIA ने ग्राम सभाओं के माध्यम से गांवों में लोगों को संवेदनशील करके उन्हें आत्मविश्वास और साहस प्रदान किया है। सामाजिक रूप से बहिष्कृत समुदायों के सदस्य भी ग्राम सभा में भाग लेकर मुख्यधारा में आगे आ रहे हैं और वे अब अधिकारियों के समक्ष अपने हित के मुद्दों को उठाने के लिए आश्वस्त हैं। विशेष रूप से, सरकारी तंत्र उन लोगों के साथ भी काम कर रहा है जो अपने अधिकारों और हितों के बारे में जानते हैं।

ग्राम स्वशासन अभियान ने न केवल उन लोगों के जीवन को प्रभावित किया है जहां कार्यक्रम चलाया जा रहा है, बल्कि कार्यक्रम क्षेत्रों से सटे कई गांवों में स्थानीय स्वशासन का बिगुल भी बजाया गया है। जागरूकता के शब्द तीन जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में फैल रहे हैं जहां कार्यक्रम चलाया जा रहा है और लोगों अधिकारों का ज्ञान हर दिन अधिक से अधिक लोगों को सशक्त बना रहा है।

PHIA फाउंडेशन और APPI के सदस्यों के दृढ़ता और अथक प्रयासों के साथ, झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में हजारों लोगों को उनके अधिकारों के बारे में सशक्त बनाने के मामले में ग्राम स्वशासन अभियान को मजबूत बनाया गया है। आज राज्य के कई पिछड़े क्षेत्रों में एक सामाजिक परिवर्तन शुरू हो गया है, जो पहले स्वशासन की अवधारणा से रहित थे।

झारखंड जैसे राज्य में जहां गरीबी, शिक्षा की कमी और यहां तक कि भुखमरी एक आम मुद्दा है, ग्राम स्वशासन अभियान जैसे कार्यक्रम की नितांत आवश्यकता है। यह कार्यक्रम, निश्चित रूप से, हजारों ग्रामीणों और उनके परिचितों के जीवन को प्रभावित करेगा, जो उन्हें विकास और उनके अधिकारों की ओर बढ़ाने के मार्ग पर ले जाएगा।





Get in Touch

Phia Foundation Jharkhand State Office
Plot No- 165, Mauja-Lal Gutwa, Aranya Vihar
Opp. Kanchan Petrol Pump, Daladili, Ring Road, Ranchi-835303
E-mail: info@phia.org.in / www.phia.org.in